न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवानः– सरपंच ग्राम पंचायत गुंगारा बनाम तहसीलदार सीकर
किस्मः– प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957
मु.न.– 95 / वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र
19.06.2025	तहसीलदार, सीकर ने पत्र क्रमांक–राजस्व/आवंटन/2025/754 दिनांक 16.06.2025 द्वारा राजस्व ग्राम पीलियों का ढहर पटवार हल्का गुंगारा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 699 रकबा 1.90 हैक्ट में से 0.0500 हैक्ट खसरा नम्बर 702 रकबा 4.83 हैक्ट में से 0.1686 हैक्ट, खसरा नम्बर 703 रकबा 3.95 हैक्ट में से 0.0550 हैक्ट व 0.0480 हैक्ट तथा भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 6.93 हैक्ट में से 0.0675 हैक्ट व 0.01 हैक्ट भूमि को रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् रास्ते का प्रस्ताव भिजवाया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम पीलियों का ढहर पटवार हल्का गुंगारा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 699, 702, 703, 696 में से मौके पर रास्ता चालू हैं तथा आवागमन के काम में लिया जा रहा हैं। रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में समस्त खातेदारों द्वारा अपनी सहमति बाबत् सहमति पत्र पेश किया गया है तथा आधार कार्ड की प्रति पेश की गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हैं राजस्व ग्राम पीलियों का ढहर पटवार हल्का गुंगारा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 699 में से 0.0500 हैक्ट, 702 में से 0.1686 हैक्ट, 703 में से 0.0550 हैक्ट व 0.0480, 696 में से 0.0675 व 0.01 हैक्ट भूमि को रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो। **उपखण्ड अधिकारी सीकर** उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)